भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2193
उत्तर देने की तारीख 11.07.2019

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए वार्षिक बजट

†2193. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ई॰एम॰आर॰एस॰) के लिए राज्य-वार कितना-कितना वार्षिक बजट आवंटित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि किस हद तक निधि का उपयोग हुआ है , कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या यह सच है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए जितनी निधियों की आवश्यकता है , उतनी निधियां इस योजना के अंतर्गत आवंटित नहीं की जा सकी हैं; और

(घ) यदि हां , तो क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगी?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का घटक "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानों" के माध्यम से निधि पोषित कार्यकलापों का भाग था। वर्ष 2018-19 के दौरान ईएमआरएस के लिए एक अलग स्कीम निरूपित की गई थी , जिसके लिए वर्ष 2019-20 के दौरान टोकन प्रावधान किया गया है। अत: चालू वर्ष में, ईएमआरएस को "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानों" के माध्यम से निधि पोषित किया गया है। ईएमआरएस के लिए आवंटन विद्यालयों में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या तथा नए विद्यालयों के लिए अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए मांग आधारित है।

(ख) : वास्तविक प्रगति रिपोर्टों , उपयोग प्रमाण-पत्रों, विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरों के माध्यम से निधियों के उपयोग की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकारों से निधियों की सभी औचित्य पूर्ण मांगे उपलब्ध बजट के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

*****